भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 831

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष वेलनेस केंद्र एवं अस्पताल

831. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार सहित देश में आयुष वेलनेस केंद्रों/अस्पतालों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में जिला स्तर पर आयुष वेलनेस केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो बिहार सहित राज्वार/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में लोगों के बीच आयुष चिकित्सा पद्वति को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के विभिन्न कंपनियों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों/जड़ी-बूटियों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है, उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, बिहार सहित देश में जिला स्तर पर आयुष कल्याण केंद्रों का विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत के तहत 12500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन को कार्यान्वित कर रहा है, जो वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा, एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनके राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की कुल 12,500 इकाइयों को एएएम (आयुष) के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, आज तक 12253 एएएम (आयुष) को कार्यशील बनाया जा चुका है। बिहार सहित स्वीकृत और कार्यशील एएएम (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

(घ): आयुष मंत्रालय देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार दवाओं और उपचारों सहित विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

(ङ): आयुष मंत्रालय ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) लागू की है, जिसे 16.03.2021 को स्थायी वित्त संस्थान (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना के लिए कुल बजट आवंटन पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये है।

योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(i) आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना।
(ii) आयुष दवाओं और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता विनिर्माण और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचनात्मक और तकनीकी उन्नयन और संस्थागत गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना।
(iii) आयुष दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों की प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा जांच और निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को मजबूत करना।
(iv) आयुष दवाओं और सामग्रियों के मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तालमेल, सहयोग और अभिसरण दृष्टिकोण बनाने को प्रोत्साहित करना।

विस्तृत दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:- https://ayush.gov.in/resources/pdf/schemes/aoushdhi.pdf

****

संलग्नक

अनुमोदित और कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	स्वीकृत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की संख्या	कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6	6
2	आंध्र प्रदेश	126	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	89
4	असम	500	500
5	**बिहार**	**294**	**113**
6	चंडीगढ़	12	12
7	छत्तीसगढ़	400	400
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव	1	1
10	गोवा	100	100
11	गुजरात	365	365
12	हरियाणा	538	506
13	हिमाचल प्रदेश	761	740
14	जम्मू-कश्मीर	523	523
15	झारखंड	745	745
16	कर्नाटक	376	376
17	केरल	700	700
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	7	7
20	मध्य प्रदेश	800	800
21	महाराष्ट्र	390	377
22	मणिपुर	15	15
23	मेघालय	24	24
24	मिजोरम	41	41
25	नागालैंड	49	49
26	ओडिशा	422	422
27	पुद्दुचेरी	4	4
28	पंजाब	158	158
29	राजस्थान	2019	2019
30	सिक्किम	18	18
31	तमिलनाडु	650	650
32	तेलंगाना	421	421
33	त्रिपुरा	72	72
34	उत्तर प्रदेश	1034	1034
35	उत्तराखंड	300	300
36	पश्चिमी बंगल	540	540
कुल		**12500**	**12253**